

# कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ0ग0)

क्रमांक / 06 / स्व. / .....

कोरबा दिनांक.....

## तृतीय ऑफर आमंत्रण

नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम 2001 के नियमों के तहत एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एवं भारत सरकार द्वारा राजपत्र में दिए दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवारा कुत्ते को पकड़कर (कुत्ते पकड़ने के दल से लेकर दवाईयां, उपकरण बंदीकरण एवं कुत्ता पकड़ने के स्थान पर ही उसे छोड़ने का कार्य) कुत्ते के बंध्यकरण एवं टीकाकरण कार्य हेतु पशु कल्याण शासकीय/अशासकीय/गैर सरकारी संस्थाओं (जिसमें पशु शल्य चिकित्सकों का होना आवश्यक है) से उक्त कार्य हेतु दरें संपूर्ण विवरण सहित बंद लिफाफे के प्रति कुत्ता दर आमंत्रित की जाती है। नगर पालिक निगम कोरबा के साकेत भवन में दिनांक 08.06.2015 सायं 04.00 बजे तक आफर कार्यालय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शाखा में स्वीकार किया जावेगा।

कुत्ते के बंध्यकरण एवं टीकाकरण कार्य के अनुभव प्राप्त ऑफरकर्ता की दरों पर ही विचार किया जावेगा। शेष जानकारी स्वच्छता शाखा से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

आयुक्त  
नगर पालिक निगम  
कोरबा (छ.ग.)